वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजनगर, सूरजपुर, कुदरगढ़ एवं बिहारपुर के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन 0.442 हे. संरक्षित वन 7.559 हे., वन विकास निगम के आधिपत्य की वन भूमि 0.771 हे. (विवरण पृष्ठ क्रमांक 129) एवं राजस्व वन भूमि 0.426 हे. कुल आवेदित वन भूमि 9.138 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 9.138 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 12/02/2021
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–847/ Ual दिनांक 12/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surajpur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 9.138 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 43607/ 2019

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि/न.क्र. 124/2021/155 दिनांक 27.01.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रेमनगर, भैयाथान एवं ओड़गी ब्लाक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लाक के वन भूमि रकबा 8.712 एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.426 हे.; कुल रकबा 9.138 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1–12
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/ 43607/ 2019 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रू. 24,000/– जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	13–15
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः–** आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर द्वारा सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजनगर, सूरजपुर, कुदरगढ़ एवं बिहारपुर के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन 0.442 हे. संरक्षित वन 7.559 हे., वन विकास निगम के आधिपत्य की वन भूमि 0.771 हे. (विवरण पृष्ठ क्रमांक 129) एवं राजस्व वन भूमि 0.426 हे. कुल आवेदित वन भूमि 9.138 हे. के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	16 –25
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः–** सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को मौजूदा राईट आफ के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 27.217 हे. है।	26–29

5.	**व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर**:– प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का **1:50000 स्केल का** मानचित्र संलग्न है।	30–33
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप**:– व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	34–62
7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव**:– प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 67 करोड़ 33 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजनगर, सूरजपुर, कुदरगढ़ एवं बिहारपुर के ग्राम पंचायतो को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होंगे।	63–70
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप**:– तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	71–73
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र**:– प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	74
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही**:– इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	75
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा**:– भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 15.01. 2021 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर. के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। फायबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 है।	76–93
12.	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्र**:– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है। वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	94
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)**:– संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	95–98
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में**:– कोरिया जिले के कुल वन भूमि रकबा 165572.240 हे. है।	99
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में**:– मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत 26 प्रकरणों में 2585.464 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	100–103
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में**:– व.स.अ.–1980 तहत सूरजपुर वनमंडल के अंतर्गत इसी श्रेणी के एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं हुए है।	104
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)**:– प्रस्तावित क्षेत्र में 10	105

	कि.मी की परिधि में तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009)**:– आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला सूरजपुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्रमांक 386 दिनांक 30.01.2020 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	118–119
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007)**:– प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 389 दिनांक 30.01.2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	120–127
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009)**:– विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार है।	128
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा**:– ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत 10 कि. मी. की परिधि में तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान / वन्य प्राणी क्षेत्र नहीं आने के कारण वन्यप्राणी परियोजना की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल का प्रतिवेदन संलग्न है।	129–130

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115– 847/402 रायपुर, दिनांक 12/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़